न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 21/2017 **दायरा दिनांक : 16.01.2017**

उनवान

1– मथुरा लाल आत्मज राधाकिशन, आयु 80 वर्ष, जाति तेली, निवासी हाल कसारा बाजार, झालरापाटन, जिला झालावाड

2– बलजीत कुमार उर्फ मांगी लाल आत्मज राधाकिशन, आयु 70 वर्ष, जाति तेली, निवासी हाल कसारा बाजार, झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रभू लाल आत्मज रामलाल, जाति तेली, निवासी माथनिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 19/2016 निर्णय दिनांक 27.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट प्रभू लाल ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम माथनिया, तहसील सुनेल में जमाबंदी सम्वत 2071–74 में खाता संख्या नयी 396 पुरानी 360 की आराजी खसरा 686/1592 रकबा 2 बीघा प्रतिवादीगण के पिता राधाकिशन के नाम दर्ज है । राधाकिशन ने वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी में होने के कारण विक्रय पत्र का पंजीयन वादीगण के पक्ष में नहीं करवाया । एक अन्य भूमि का पंजीयन करा दिया गया है । दोनों सौदे एक साथ हुए थे और राशि 3000/– रूपये का भुगतान प्रार्थी के द्वारा किया जा चुका है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्रार्थी का है । राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज है । अप्रार्थीगण इसमें अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं और जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । कब्जा प्रार्थीगण का है । अप्राथीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । आराजी को खुर्द बुर्द न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में दिनांक 27.06.2016 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर उभयपक्ष को रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का रजीनामा नहीं हुआ था । गलत तौर से लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर न तो प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है और न ही उनका कब्जा है । फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी अत्यधिक वृद्ध एवं कमजोर होने के कारण एवं आवश्यक धनराशि समय पर उपलबध नहीं होने के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ ने सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है । रेस्पोडेंट न तो खातेदार कृषक है और न ही उसका कब्जा है फिर भी स्थगन आदेश जारी किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी हेतु तलबाना पेश करने में लम्बित थी और इसमें दिनांक 27.0.201 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ प्रार्थी उपस्थित हुए हैं । आदेशिका में

लिखा है कि उभयपक्ष उपस्थित परन्तु आदेशिका पर प्रभू लाल के हस्ताक्षर है और कुछ कटिंग हो रही है जो पठनीय नहीं है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है इस दृष्टि से अधीनस्थ नयायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण अप्रार्थीगण से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुन कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा